

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई. विश्वनाथ प्रसाद तांती,
सरकार के अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची।

मुख्य अभियंता,
नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची।

मुख्य अभियंता,
आवास विभाग, झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :-

विषय:-कनीय अभियंताओं का चल एवं अचल सम्पत्ति की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना सं.-9519 दिनांक 22.09.2014 एवं पत्रांक-2423 दिनांक 16.03.2015 एवं विभागीय पत्रांक-1646 दिनांक 14.05.2015 एवं पत्रांक-4079 दिनांक 31.07.2015 एवं 5490 दिनांक 29.10.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लिया जाय। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-2423 दिनांक 16.03.2015 में निहित निदेश के आलोक में प्रोन्नति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित करना आवश्यक है। उक्त के क्रम में कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु विचारणीय कनीय अभियंताओं का चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-4079 दिनांक 31.07.2015 एवं पत्रांक-5490 दिनांक 29.10.2015 द्वारा पत्र निर्गत है।

एतएव प्रोन्नति हेतु विचारणीय कनीय अभियंताओं को पुनः अंतिम रूप से सूचित करते हुए कहना है कि उक्त सभी विचारणीय अभियंताओं का चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में भरकर दिनांक 20.12.2015 तक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अंतिम स्मार समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03/ सभी संबंधित कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5900

राँची, दिनांक :-

02-12-15

प्रतिलिपि :-वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)